न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : भुवनेश्वर सिंह चौहान (आर.ए.एस)

राजस्व अपील सं. 18/2024 **GCMS No. 2024/32**

अपीलांट–	बनाम	उत्तरदातागण–
1. हीराराम पुत्र श्री वेहनाराम 2. सांगाराम पुत्र श्री वेहनाराम 3. किरताराम पुत्र श्री वेहनाराम जातियान जाट निवासीयान खारडा भारतसिंह तहसील गिडा जिला बालोतरा।		1. देदाराम पुत्र श्री वेहनाराम के कायम मुकाम – 1/1 भूराराम पुत्र देदाराम 1/2 मंगलाराम पुत्र देदाराम. 1/3 मूलाराम पुत्र देदाराम 1/4 श्रीमती माली बेवा देदाराम 2. मेहाराम पुत्र कुम्भाराम 3. देवाराम पुत्र कुम्भाराम 4. खेताराम पुत्र कुम्भाराम 5. हुकमाराम पुत्र गोकलराम . 6. खंगारराम पुत्र गोकलराम . 7. खींयाराम पुत्र पोकरराम 8. मंगलाराम पुत्र पोकरराम, जातियान जाट निवासीयान खारड़ा भारतसिंह तहसील गिडा जिला बालोतरा। 9. तहसीलदार गिडा/ बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2013/861 दिनांक 16.02.2013 तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेन्टान की संयुक्त भूमि के विभाजन आदेश को पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रूगाराम कड़वासरा उपस्थित।
2. उत्तरदातागण की ओर से अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 08.04.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 के विरूद्ध आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/861 दिनांक 16.02.2013 को तहसीलदार बायतु द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तहसीलदार बायतु द्वारा पारित निर्णय अनुसार तहसील गिड़ा के अपीलांटकर्ता एवं उतरदाता संख्या 1 से 08 की संयुक्त खातेदारी के खेत अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी भूमि सरहद मौजा खारडा भारतसिंह मे खेत खसरा नंबर 307 रकबा 10 विस्वा किस्म गैर मुमकीन ढाणी, खसरा नंबर 308 रकबा 33.11 बीघा, खसरा नंबर 360 रकबा 46 बीघा, खसरा नंबर 367 रकबा 9.01 बीघा, खसरा नंबर 381 रकबा 233.19 बीघा आई हुई है व खेत खसरा नंबर 124 रकबा 11 विस्वा, खसरा नंबर 125 रकबा 35.03 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 38.09 बीघा, खसरा नंबर 175 रकबा 55.10 बीघा व खसरा नंबर 122 रकबा 86.07 बीघा सरहद मौजा हनुमानपुरा पटवार हल्का खारडा भारतसिंह भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गिडा तहसील बायतु वर्तमान तहसील गिडा जिला बालोतरा में अवस्थित है जो समस्त भूमियां अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट सं. 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी है। यह हैं कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट उपरोक्त भूमियों का मौके पर कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणिया, पशुओं का बाड़ा, चारवाड़ा, आवागमन के रास्ते इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सहमति से बंटवाड़ा कराने की मंशा जाहिर की, इसी दरमियान 16.02.2013 में सभी पक्षकारान ने सहमति से विभाजन यह जानते हुए कि मौके पर जिस प्रकार कब्जा हैं, तथा मौके पर विभाजित होने वाली भूमियों में आवागमन का रास्ता उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर रखा जाकर बंटवाड़ा किया जायेगा, इसलिए दोनों पक्षों ने सम्बन्धित पटवारी से मिल कर विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया और हल्का पटवारी को ऐसा कहने पर हल्का पटवारी द्वारा आश्वस्त किया गया कि, मौके पर काबिज अनुसार विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया गया। किन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के मध्य जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। वक्त सहमति बंटवाड़ा मौके कब्जा काश्त, रहवासीय ढाणियां, चारवाड़े, पशुओं बाड़ें इत्यादि व आवागमन हेतु रखी गयी भूमि अनुसार विभाजित तैयार कर दिया है। इस कारण सभी खातेदारों का हिस्सा बराबर– बराबर एक दुसरे के कब्जे के विपरीत स्थिति उत्पन्न नही हो इस लिए सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/861 दिनांक 16.02.2013 को तहसीलदार बायतु द्वारा सह खातेदारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए पारित किया गया। तथा अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आलोच्य आदेश को निरस्त करने हेतु अपील इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तथा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र धारा 05 परिसीमा अधिनियम व जवाब दिनांक 08.07.2025 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बताया गया कि प्रार्थना पत्र गलत है अतः अस्वीकार है। अपील के संबंधित आदेश की जानकारी शुरू से ही अपीलांटगण को रही है, अलावा इसके अपीलाधीन आदेश पारित होने के बाद मौके पर मकान, ढाणीयां भी बनायी जा चुकी है, मौका स्थिति के फोटो गुगल नक्शा सहित प्रस्तुत है, माफिक बंटवाड़ा मौके पर कोई तरमीम के विरूद्ध कब्जा नहीं है, अलावा इसके उक्त भूमि का बाद बंटवाड़ा भूमि का उपयोग उपभोग संबंधित खातेदारान द्वारा किया जा रहा है।

2. अतः अपील 10 वर्षों की अवधि के बाद क्यों पेश की गई, जिसके संबंध में लैस मात्र भी कथन नहीं किया गया है, जबकि मौके पर पक्षकारान के कब्जे में रहवासीय ढ़ाणीयां, पानी के टांके, आने जाने के रास्ते किसी भी तौर से प्रभावित नहीं हो रहे है, मौके पर माफिक कब्जा कास्त ही बंटवाड़ा किया गया, सहमति विभाजन के विपरित अन्य कोई कथन करने से अपीलांटगण विबंधित है। अपील म्याद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। क्योंकि 10 वर्षों की अवधि में अपील प्रस्तुत क्यों नहीं की, इस संबंध में लैस मात्र कथन भी अपीलांटगण ने अपनी अपील में अंकित नहीं किया है। सहमति बंटवाड़ा दिनांक 16.02.2013 में माफिक हिस्सा सभी वारिसान का समान खातेदारी भाग रखा गया तथा कब्जा कास्त भी उसी अनुरूप में बंटवाड़ा से किसी भी पक्षकार के रहवासीय मकान या ढ़ाणी, पशुओं के बाड़े, रास्ते प्रभावित नहीं हो रहे है, मात्र तंग परेशान करने की नियत से वर्तमान अपील प्रस्तुत की है जो प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन है कि अपीलांटगण की अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जावें। उभयपक्षकारों कि बहस सुनी गई। प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन विरूद्ध विभाजन आदेश क्रमांक/राजस्व/2013/861 दिनांक 16.02.2013 को पारित करने में विधि एवं तथ्यों की कोई भी भूल नहीं की गई हैं।

3. हमनें अपीलांट व अपीलांट के अधिवक्ता एवं रेस्पोड़ेट के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेज का अवलोकन किया।

4. दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों का दौहराया और तर्क दिया कि मौके पर कब्जा काश्त व रहवासिय धाणी है उस माफिक बंटवाड़ा नहीं हुआ है उक्त तथ्यों की जानकारी रेस्पोंडेट द्वारा सीमाज्ञान नाप करवाने पर अपीलांट को हुई उससे पहले उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं थी मौके पर जिस प्रकार कब्जा है उस प्रकार मौके पर तरमीम नहीं हों। इसलिए अपील को अन्दर मयाद सुमार कर अपील का निस्तारण गुणा गुणों पर किया जावें।

5. अधिवक्ता रेस्पोडेट ने दौराने बहस तर्क दिया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के 10 वर्ष बाद वर्तमान अपील पेश कि है जो किसी भी रूप से अन्दर म्याद शुमार नहीं कि जा सकती क्योकि अपीलकर्ता ने अपील को हैतुक रेस्पोडेट द्वारा सीमाज्ञान नाप करवाने पर अपीलांट को ऐसे तथ्यों कि जानकारी होना बताया है किन्तु अपीलांट ने अपील में ऐसी कोई दिनांक नहीं बताई हैं जिस रोज मौके पर सीमाज्ञान हेतु आये हों इसके अलावा अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज भी अपील के संलग्न पेश नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अपील में भी रेस्पोडेंट नाप सीमाकंन करने पर जानकारी हुई का कोई तथ्य अंकित नहीं है।

6. हमने दौनो पक्षों को सुना एवं उनके तर्को पर मनन किया। पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन एवं अध्ययन किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रकरण गुणा गुणो पर सशक्त हो वहां परीसीमा का बिन्दु जो एक तकनीकी बिन्दु है वो गौण हो जाता है। वर्तगान प्रकरण में जो तथ्य अपील देरिना पेश करने बाबत बताये है उसे यह कतई मानने योग्य नहीं है कि उनहे उक्त तथ्य की जानकारी नहीं कि विभाजन के वक्त कब्जे के विपरीत तरमीम कर भूमि उनके हिस्से में रखी हो दौराने बहस अपीलांट ने कथन किया कि खसरा संख्या 122 व 360 की तरमीम जिस प्रकार की गई है उससे पक्षकारान के कब्जे व ढाणी प्रभावित हो रही है जबकि पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा गुगल ट्रेस में ऐसी कोई स्थीति नहीं है मात्र मौखिक कथन से उक्त तथ्य साबित नहीं होता है अलावा अपीलांट ने ऐसे कोई मौके के फोटोग्राफ पेश नहीं किये है जिससे यह जाहिर होता है कि कब्जा के विपरीत नक्शे में तरमीम हुई हो ऐसी तरमीम अपीलांट मुगालते में रखकर की गई हो।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा